



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना सैंया जनपद आगरा । 29.08.2021

थाना सैंया पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की बिक्री कर रहे दो अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार..

दिनांक 28.08.2021 सैंया चौराहा पर पुलिस टीम द्वारा की जा रही गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति थैले में देशी शराब के पक्वा लेकर वीरई की तरफ आ रहे हैं। जो इस समय कटीपुल के पास हैं।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बताया स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 45 पक्वा देशी शराब के बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना सैंया पर मु0अ0सं0 146/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, मु0अ0सं0 147/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण :-

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग शराब लाकर आस पास के गांव में बेच देते हैं। जिन्हें बेच कर हम लोग अपना खर्चा चलाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. अजय सिंह पुत्र राकेश कुमार निवासी बीरई थाना सैंया जनपद आगरा।
02. कुलदीप पुत्र रामपाल सिंह निवासी बीरई थाना सैंया जनपद आगरा।

अभि0 अजय का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

01. मु0अ0सं0 146/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना सैंया जनपद आगरा।

अभि0 कुलदीप का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

01. मु0अ0सं0 147/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना सैंया जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :-

01. 45 पक्वा देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

थानाध्यक्ष अरविन्द निर्वाल मय टीम थाना सैंया जनपद आगरा।